

श्रीमान मंडल व्वालियर  
न्यायलय श्रीमान कलेक्टर महोदय, होशंगाबाद.

निग-1815-PBR-14



श्रीमति प्रेमबाई वैवार रामचंद्र

निवासी ग्राम खोजनपुर तह. व जिला

होशंगाबाद

-----पुनरीक्षणकर्ता.

बनाम

चंद्रमानसिंह आ. मूरतसिंह

निवासी ग्राम खोजनपुर तह. व जिला

होशंगाबाद

-----उत्तरवादी.

पुनरीक्षण अंतर्गत धारा 50 म0प्र0भू0रा0सि0

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्न निवेदन है:-

1. यह कि पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा एक आवेदन पत्र म0प्र0भू0रा0सि0 के धारा 129 के तहत प्रस्तुत किया गया जिसमें दिनांक 12.5.14 को सीमांकन कार्यवाही की गयी जिससे क्षुब्ध होकर अपने पुनरीक्षणकर्ता यह पुनरीक्षण पेश कर रहा है।

Reader  
26-5-14  
कलेक्टर, होशंगाबाद


क्रमांक 2019  
रजिस्टर्ड पोस्ट द्वारा आज  
दिनांक 16-6-14 को प्राप्त  
कलेक्टर ऑफ कोर्ट  
राजस्थान मण्डल न.प्र. व्वालियर

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश—ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1816—पीबीआर/14

जिला होशंगाबाद

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
24-12-2014	<p>आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया । आवेदकगण की ओर से यह निगरानी सीमांकन पंचनामा दिनांक 12-5-14 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है । प्रकरण में अभी राजस्व निरीक्षक द्वारा तहसीलदार के समक्ष सीमांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है, और तहसीलदार द्वारा अभी प्रकरण में अंतिम रूप से सीमांकन आदेश पारित किया जाना है, जहां आवेदकगण को सुनवाई का अवसर उपलब्ध है । अतः यह निगरानी प्रथम दृष्टया प्रीमेच्योर होने से अग्राह्य की जाती है ।</p> <p style="text-align: right;"> (स्वदीप सिंह) अध्यक्ष</p>	